राजस्व लोक अदालत–2015

लोक अदालत के समक्ष

स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादीः–लादू पुत्र गोरू जाति मीणा निवासी जूनिया तहसील दूनी

प्रतिवादी/प्रत्यर्थीः–तहसीलदार दूनी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की कार्यवाही संख्याः–33/2015

उपस्थितः–श्री पवनकुमार जैन,अभिभाषक अपी0/श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

अध्यक्ष का नामः– श्री भगवान सहाय शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य का नामः– अभिभाषक श्री रामदेव बैरवा.

अधिनिर्णय **दिनांक 17.06.2015.**

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए है और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट तहसीलदार दूनी के समक्ष इस आश्य का शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसका विवादित भूमि पर कोई पक्का निर्माण नहीं है, भौतिक रूप से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में किसी भी राजकीय भूमि पर अतिकमण नहीं करेगा। तहसीलदार भी जांच कर सुनिश्चित करलें कि अपीलाण्ट को विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में तहसीलदार दूनी का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

याची/वादी/परिवादी

पवन कुमार जैन ऐड०

सदस्य

(रामदेव बैरवा ऐड०)

अध्यक्ष

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय मुद्रा

Scanned by CamScanner